उमट्टा –बरसाली मौणा मोटर मार्ग का बैरफाला काण्डा तक मोटर मार्ग के विस्तारीकरण से सम्बन्धित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑफलाईन एवं ऑनलाईन इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, प्रस्ताव का अवलोकन करने पर प्रस्ताव में निम्न कमियां पायी गई।

1– प्रस्ताव मे संलग्न Justificiation प्रपत्र में प्रस्तावित वन भूमि 7 मी0 चौड़ाई में प्रस्तावित की गयी है जबकि लैण्ड शैड्यूल प्रपत्र में सिविल एवं वन पंचायत वन भूमि 9 मी0 व आरक्षित वन भूमि 6 मी0 चौड़ाई में वन भूमि प्रस्तावित है।

2– एफ0आर0ए0 प्रपत्र में सुधार हेतु पूर्व में भी पत्र लिखा गया, परन्तु आपके द्वारा एफ0आर0ए0 में गांव समिति प्रपत्र में ग्राम पंचायत उमट्टा में हुई बैठक का दिनांक अंकित नही किया गया है तथा ग्राम समिति में उपस्थित हुये ग्रामीणो की उपस्थिति प्रपत्र भी प्रस्ताव में संलग्न नही की गयी है।

3– पूर्व में निर्मित मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण स्वीकृति भी प्रस्ताव में संलग्न करे।

अतः उपरोक्त कमियो का निराकरण करते हुए वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव निर्माण मार्ग दर्शिका आपके कार्यालय के ई–मेल के माध्यम संलग्न की जा रही कि उक्त मार्ग दर्शिका पुस्तिका के अनुसार ही वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार करे तथा प्रस्ताव तैयार करने के उपरान्त अपने स्तर से पूर्ण परीक्षण करने पर प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे।

संलग्नः– वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मार्ग दर्शिका पुस्तिका।

Scanned with CamScanner